राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.8(22)वित्त–1(1)आ.व्य./2000 पार्ट III जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2018

परिपत्र

संघ तथा राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची के सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 2.2 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र 'क', कर राजस्व (मुख्य शीर्ष 0006 से 0045), में सम्मिलित सभी मुख्य शीर्षों में से की जा रही राजस्व वापसियों को संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष के नीचे विशिष्ट उपशीर्ष में वर्गीकृत होना चाहिए ताकि लेखों में प्रत्येक कर/शुल्क का शुद्ध संग्रहण आसानी से ज्ञात हो सके। इसी प्रकार क्षेत्र 'ख', करेत्तर राजस्व (मुख्य शीर्ष 0047 से 1475), हेतु जब तक यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो, तब तक संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघुशीर्ष 900 "घटाइये वापसियाँ" खोला जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में क्षेत्र 'क' के मुख्य शीर्षों में वर्गीकृत होने वाली राजस्व वापसियों के संबंध में उपयुक्त लघुशीर्ष के नीचे उपशीर्ष 90 और क्षेत्र 'ख' हेतु लघुशीर्ष 900 आवश्यकतानुसार खोले गये हैं।

महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व वापसियों (Refund of Revenue) की राशि को विभिन्न राजस्व प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत (–) माइनस राशि के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है जिसके कारण वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व भी उस सीमा तक लेखों में कम दिखाया जा रहा है। यह वर्गीकरण संघ तथा राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची के सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 2.2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों द्वारा वर्ष 2017–18 में अभी तक अन्य शीर्षों में वर्गीकृत राजस्व की वापसियों को सही मद (90/900) में वर्गीकृत कराया जावे एवं भविष्य में राजस्व वापसियों को उपयुक्त बजट मद में वर्गीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

ह०—
(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थन, जयपुर ।
2. समस्त प्रशासनिक विभाग।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त बजट नियंत्राण अधिकारी।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. तकनीकी निदेशक, NIC, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)